

(प्ररूप सं. आर एस एल-6)

राज्य सभा

प्रस्ताव की सूचना

दिनांक.....

प्रेषक:

....., संसद सदस्य।

सेवा में,

महासचिव,

राज्य सभा,

नई दिल्ली।

महोदय,

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 168 के अधीन मैं एतद्द्वारा राज्य सभा के वर्तमान/आगामी सत्र में सामान्य लोक हित के मुद्दे पर निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने के अपने इरादे की सूचना देता/देती हूँ:-

भवदीय,

सदस्य, राज्य सभा

विभाजन संख्या.....